न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 22/20 (वाद)

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री मनमोहन गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्री यशवन्त गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री चंचल कुमार पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री बनवारी लाल पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल सेक्टर 14 उदयपुर तह. गिर्वा।
3. श्री सत्यनारायण पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल कान्दीवली मुम्बई।
4. श्री सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल वल्लभ एम्पायर पूला उदयपुर।
5. श्री बृजमोहन पिता शांतिलाल महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मनमोहन पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 18.08.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 6110/3050 रकबा 0.10 बीघा भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में नामान्तरण सं. 5431 दिनांक 14.03.2019 विरासत से चंचल कुमार, शांतिलाल, बनवारीलाल, सत्यनारायण, सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद सुगना बाई बेवा शिवप्रसाद महाजन के बजाय चंचल कुमार बनवारीलाल सत्यनारायण सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद 4/5 बृजमोहन पिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:58:43 IST
Reason: SelfAttested

शांतिलाल 1/5 महाजन सा. फतहनगर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वाधिकारी अर्थात् वादीगण के पिता श्री गोपीलाल पिता राधाकिशन जी द्वारा खातेदार शिवप्रसाद पिता राधाकिशन जी महाजन से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.02.1981 को बिल एवज 60 रूपये में क्रय की तब से उक्त भूमि पर वादीगण एवं वादी के पूर्वाधिकारी का ही कब्जा एवं आधिपत्य होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

2. यह कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी शिवप्रसाद पिता राधाकिशन के नाम दर्ज थी त1था उन्होने अपनी जायज आवश्यकता की पूर्ति के लिये एवं आपसी प्यार स्नेह के कारण आराजी सं. 3050 रकबा 1.06 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी गोपीलाल जी को विक्रय कर दी परन्तु उक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से उनकी मृत्यु के पश्चात् अर्थात् शिवप्रसाद की मृत्यु के बाद विरासत से शिवप्रसाद जी के उत्तराधिकारी अर्थात् चंचल कुमार, शांतिलाल, बनवारीलाल, सत्यनारायण, सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद सुगनाबाई बेवा शिवप्रसाद के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् उक्त खातेदारान ने राज्य हक में अपने अधिकार समर्पित किये जाने से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि को समर्पण नहीं करनी थी परन्तु भूलवश सम्पूर्ण भूमि को समर्पित कर दी गई जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा पुनः राज्य सरकार में कार्यवाही करा समपर्ण में शेष रही भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा दी जबकि कानूनन उक्त प्रतिवादीगण को उक्त भूमि अपने नाम कराने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनामा पेश कर वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक किया गया।

4. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर 2019 (1) CJ (Civ) (Raj) Page 450, RRT 2017 (2) Page 873 पेश कर राजीनामें अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अपनी बहस में जवाब व राजीनामें अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज एवं उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि मौजा सनवाड तहसील मावली में स्थित होकर पूर्व में श्री शिवप्रसाद पिता राधाकिशन महाजन के निवासी फतहनगर के नाम पर दर्ज थी, जो कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि को तत्कालीन खातेदार श्री शिवप्रसाद द्वारा अपनी जायज जरूरत के लिए वादग्रस्त भूमि को दिनांक 16.02.1981 की आराजी नम्बर 3050 रकबा 0.26 विस्वा कृषि भूमि को गोपीलाल पिता राधाकिशन महाजन को बिल एवज 60/— अक्षरे साठ रूपया में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया। भूमि का नामान्तरकरण गोपीलाल के नाम दर्ज नहीं हुआ। खातेदार शिवप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है भूमि के नये नम्बर 6110/3050 रकबा 10 बिस्वा पडे। उक्त भूमि वर्तमान में विक्रेता शिवप्रसाद के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा भी उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है, एवं विक्रय को सही मानते हुए भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने की सहमति व्यक्त कर आपसी राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। चूंकि विक्रय पत्र के अवलोकन से विक्रय दिनांक 16.02.1981 को हुआ है जबकि उक्त विक्रय की राशि 60/— साठ रूपया होकर 10/— दस रूपया के स्टाम्प पर विक्रय हुआ है। जैसा कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT2017(2) page 873 " Rajasthan Tenancy ACt,1955 –Secs. 88, 89, 91, 92A & 188 Registration Act 1908- Sec. 17 RAA Set aside the judgment & decreed the suit Land transferrd by an unregisterd sale deed- value of sale deed was less than Rs. 100\- Registration of document not necessary Held suit decreed contrary to low & set aside. इससे स्पष्ट है कि 100/— से कम के विक्रय विलेख का दस्तावेज का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण में भी प्रतिवादीगण जो कि विक्रेता शिवप्रसाद के पुत्र होकर लीगल वारिस है उन्होने ने भी उक्त विक्रय को सही माना है एवं भूमि पर आज दिन तक क्रय दिनांक से कब्जा वादीगण का होना ही बताया हैं। उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:58:43 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 6110/3050 रकबा 0.10 बीघा भूमि का खातेदार चंचल कुमार, शांतिलाल, बनवारीलाल, सत्यनारायण, सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद सुगनाबाई बेवा शिवप्रसाद महाजन के बजाय वादीगण सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल व यशवन्त गोयल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:58:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सोहनलाल गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री मनमोहन गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।
3. श्री यशवन्त गोयल पिता गोपीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री चंचल कुमार पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री बनवारी लाल पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल सेक्टर 14 उदयपुर तह. गिर्वा।
3. श्री सत्यनारायण पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल कान्दीवली मुम्बई।
4. श्री सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद महाजन निवासी फतहनगर हाल वल्लभ एम्पायर पूला उदयपुर।
5. श्री बृजमोहन पिता शांतिलाल महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 22/20 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 6110/3050 रकबा 0.10 बीघा भूमि का खातेदार चंचल कुमार, शांतिलाल, बनवारीलाल, सत्यनारायण, सुरेशचन्द्र पिता शिवप्रसाद सुगनाबाई बेवा शिवप्रसाद महाजन के बजाय वादीगण सोहनलाल गोयल, मनमोहन गोयल व यशवन्त गोयल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.08.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.07 10:58:43 IST
Reason: SelfAttested